न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 33/2016

नरसी पुत्र रामरख जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

——अपीलांट

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूतरगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ — रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 14.09.2015 ।

उपस्थितिः–

श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई , अभिभाषक अपीलांट।

श्री विक्रम बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो.

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक :– 30.10.2017

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आवंटन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की की गई हैं उक्त आदेश के द्वारा रेस्पो.सं.1 को राज. उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13 (5)(बी) के तहत चक 2 डी ओ (ए) के प.न. 23/15, 23/24, 23/16, 23/23 की कुल 2.379 है. भूमि आवंटन की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

30/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो. ने अपने आवंटन प्रा.पत्र में उम्र 35 वर्ष लिखी है जिससे जाहिर होता है कि दिनांक 25.11.1975 को अपीलांट के पिता को जो रकबा आवंटन हुआ था उस दिन रेस्पो.सं.1 इस संसार में नहीं आया था । उसका जन्म 5 वर्ष बाद हुआ था ऐसी स्थिति में रेस्पो. सं.1 आवंटन की कार्यवाही नहीं कर सकता था । अपीलांट ने प.न. 23/15 की भूमि को स्मालपैच में आवंटन करवाने हेतु प्रा.पत्र पेश कर रख है जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट आई है कि रकबा स्मालपैच आवंटन योग्य है। जिसे छिपाकर रेस्पो. ने आवंटन कराया है। रेस्पो. का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं था फिर भी आवंटन कर दिया गया । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पो. को पिता की अधिशेष भूमि थी जिसके आवंटन हेतु रेस्पो. ने बतौर बालिग पुत्र आवंटन प्रा.पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार की रिपोर्ट ली जाकर नियमानुसार रेस्पो को आवंटन किया गया है। अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी ने यह अपील आदेश दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध दिनांक 27.01.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका

30/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

खण्डन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश करके नहीं किया हैं ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध पेश की है जिसमें रेस्पो. द्वारा तथ्यों को छिपाकर बालिग पुत्रों नियमों के तहत आवंटन करवाया है जो खारिज योग्य है।

अपील मीमों का सार है कि रेस्पो.सं.1 ने तथ्य छिपाकर, अधीनस्थ कर्मचारियों से साठ–गाठ कर गलत आवंटन करवाया है जाहिर किया ।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, विवादित भूमि का आवंटन रेस्पो. सं.2 का आवेदन, जो शपथ पत्र से समर्थित है पर पटवारी हल्का, भू.अ. निरीक्षक एवं तहसीलदार की अभिशंषा पर आवंटन किया है जो रेकार्ड base है, में अपीलांट की " Legal locus-standai " क्या है अपील मीमों से स्पष्ट नहीं है तथा अपील मीमों की इबारत से प्रकरण अपील का न होकर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11 पठित धारा 14 की परिधि में आता है जिसका original क्षेत्राधिकार अतिरिक्त कलेक्टर सूरतगढ के न्यायालय में उपलब्ध है। जिसके निर्णय से आहत होने पर अपील इस न्यायालय में पेश की जा सकती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

30/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर